



Neutral Citation No. - 2026:AHC:17682

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी - 862 वर्ष 2026

गांव सभा मुरादपुर

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सुनील कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह ने वर्तमान रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की है, क्योंकि इस पर आगे कार्रवाई नहीं की जा रही है, और उन्हें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत उचित आवेदन/मामला दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है।
2. प्रार्थना स्वीकार की जाती है।
3. रिट याचिका को प्रार्थना के अनुसार स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

27 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"